(82)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक– प्र0 8/विविध–03–123/2010 2819 (6) पटना, दिनांक:– 26-4-12

प्रेषक,

बबन राम,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

मुख्य अभियंता(या0),
दक्षिण बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।
मुख्य अभियंता(या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, दरभंगा।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ, पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ सहित
पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ सहित
पथ निर्माण विभाग।

विषय :– **वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्तियों/ प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में।**

प्रसंग :– पर्यावरण एवं वन विभाग का पत्रांक–210(एस) दिनांक–24.03.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा सुचित किया गया है कि पथ एवं पुल के निर्माण में यदि वन भूमि का अपयोजन करने की आवश्यकता हो तो इस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर ही कार्य कराया जाय। इस संबंध में विधिक परामर्श यह प्राप्त हुआ है कि किसी भी सुरक्षित अथवा अधिसूचित वन में अगर कोई गैर वानिकी कार्य किया जाता है एवं जब उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग का उद्देश्य वन को नुकसान पहूँचाना नही हो बल्कि वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के लिए अपयोजन करना हो एवं इसके लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति नही प्राप्त की गई है तब इस मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई नहीं की जायेगी, बल्कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– प्रासांगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,

(बबन राम)

C:\Users\dell\Desktop\AMIT KUMAR\Shiv Ratan Sir's.docx
181

277

पत्रांक–वन भूमि (अ)–20/10 210(8)/प0व0
बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग।

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–24 मार्च, 2012

विषय: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्तियों/प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्लू0पी0 (सी0) संख्या–202/95 में दिनांक–12.12.96 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 'वन' शब्द को इसके शब्दकोष के अर्थ के अनुसार समझा जाय। इस व्याख्या में सांविधिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी वन शामिल हैं चाहे वह आरक्षित, संरक्षित के रूप में अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2(i) के उद्देश्य के लिए अभिनामित हों। धारा–2 में आने वाले शब्द 'वन भूमि' में न केवल 'वन' शामिल होगा बल्कि स्वामित्व का ध्यान रखे बिना सरकारी रिकार्ड में 'वन' के रूप में रिकार्ड किया गया कोई भी क्षेत्र। इस प्रकार अधिसूचित वन अर्थात् आरक्षित वन/संरक्षित वन अथवा राजस्व रिकार्ड में अथवा किसी अन्य रिकार्ड में वनों के रूप में रिकार्डेड क्षेत्रों पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं।

2– वर्ष 1994 में एवं अन्य अनुवर्ती विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग इत्यादि की भूमि को सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना में पैतृक विभाग को मरम्मति एवं चौड़ीकरण आदि का अधिकार दिया गया था। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–12.12.96 को पारित उपर्युक्त आदेश के पश्चात्

276

'वन' की परिभाषा में परिवर्तन हो गया है, जिसके तहत उक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं।

3– ऐसे कई मामले हाल में प्रकाश में आये हैं जहाँ सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बिना सुरक्षित वन के रूप में घोषित पथों के चौड़ीकरण कार्य या अन्य सरकारी विभाग द्वारा कार्य किये जा रहे थे। इस प्रकार के कई मामलों में वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी एवं कुछ मामलों में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत भी कार्रवाई क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गयी। इस प्रकार के मामलों में एकरूपता के लिए विभाग द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया गया कि इस प्रकार के घोषित वन भूमि में यदि किसी अन्य विभाग के द्वारा या उनके आदेश से कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो वन भूमि का गैर–वानिकी कार्यों के लिए अपयोजन माना जायेगा एवं/अथवा इस क्रम में अगर घोषित वन भूमि में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इस मामले में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्नवत् बिन्दु स्पष्ट किये जाते हैं:–

(क) भारतीय वन अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है जिसकी धारा–33 में दंड का प्रावधान किया गया है जो इस अधिनियम की धारा–30 के तहत अधिसूचना या धारा–32 के तहत बने नियमों के उल्लंघन के मामले में लागू है।

(ख) वन संरक्षण अधिनियम 1980 एक विशेष अधिनियम है जो वनों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है एवं इसमें वन भूमि का गैर–वानिकी कार्यों के अपयोजन के लिए कराये जाने वाली कार्रवाई तथा इस प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर दिये जाने वाले दंड एवं उसकी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

(ग) वन संरक्षण अधिनियम की धारा–3B विशेष तौर पर उस परिस्थिति में है जहाँ इस अधिनियम का उल्लंघन किसी प्राधिकार अथवा सरकारी विभाग द्वारा किया जाय एवं इसके उल्लंघन के मामले में की जाने वाली प्रक्रिया वन संरक्षण अधिनियम 2003 के माध्यम से निरूपित की गयी है। धारा–3A, इस अधिनियम की धारा–2 के किसी के भी द्वारा उल्लंघन करने पर लागू होता है।

(घ) इस मामले में विधिक परामर्श यह प्राप्त हुआ है कि किसी भी सुरक्षित अथवा अधिसूचित वन में अगर कोई गैर–वानिकी कार्य किया जाता है एवं जब उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग का प्राथमिक उद्देश्य वन को नुकसान पहुँचाना नहीं हो बल्कि वन भूमि का गैर–वानिकी कार्य के लिए अपयोजन करना हो एवं इसके लिए सक्षम

1215

प्राधिकार से अनुमति नहीं प्राप्त की गई है तब इस मामले में सामान्य अधिनियम अर्थात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई नहीं की जाय बल्कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ही कार्रवाई की जाय। इस मामले में स्पष्ट विधिक परामर्श यह प्राप्त हुआ है कि जब एक ही दोष के लिए एक सामान्य अधिनियम एवं एक विशेष अधिनियम मौजूद हो तो विशेष अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की जाय। विधिक परामर्श यह है– "The Act of 1980 will prevail over Act of 1927."

4– अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि अगर वन भूमि के अपयोजन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो उसमें उपरोक्त प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ही कार्रवाई की जाय।

कृपया इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी इस वैधिक परामर्श से अपने अधीनस्थ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तक के स्तर के पदाधिकारियों को अवगत करा देंगे। इसमें विधि विभाग तथा विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : *वन भूमि (अ)–20/10,* 210 (8) */प0व0* पटना–15, दिनांक 24/3/2012

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि वन भूमि अपयोजन संबंध सभी मामलों में सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर ही कार्य कराने की कृपा करें एवं इस संबंध में अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा करें।

24/3/2012

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।